

2020/0820

न्यायालय

11/20

कैलाश बनारस

आज्ञा विस्तृत रूप से

क्र. सं.	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	
	19 $\frac{4}{2}$	<p>पंचायती राज डंड (वसील उन्मेष पक्ष उन्मेष पक्ष) वसील उन्मेष पक्ष के वसील (वसील) से प्राप्त कुलमत रिपोर्ट पर मुताबिक वसील पक्षमात्र द्वारा कुलमत व वसील ही द्वारा बाहिर किया। प्रजापती का प्रलेखन एवं वसील पक्षमात्र द्वारा कुलमत पर मुताबिक व वसील बाहिर करने के फलस्वरूप जारी कर वाड तक्षील का मुताबिक से प्राप्त कुलमत उन्मेष पक्ष उन्मेष पक्षी किया जाता है कि वाड उन्मेष आजात खं.सं. 117, 118, 119, 120, 121, 122 कुल कितना 6 कुल एकका 3.69 हेक्टर निम्न ग्रामों तैगा तक्षील तैगा कितना कुल से खं.सं. <math>\frac{120}{2}</math>, <math>\frac{121}{2}</math> कुल कितना 2 कुल एकका 0.70 हेक्टर की भूमि खतेदार नंद लाल पुत्र रामसहाय भाबि धारका सा. 52 रजिस्ट्रार B.O.I शाखा तैगा के डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार तथा खं.सं. 118, <math>\frac{121}{2}</math> कुल कितना 2 कुल एकका 0.70 हेक्टर की भूमि खतेदार केबाधा पुत्र रामसहाय भाबि धारका सा. 52 के डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार तथा खं.सं. 118, <math>\frac{121}{2}</math> कुल कितना 2 कुल एकका 0.70 हेक्टर की भूमि खतेदार नंद लाल पुत्र रामसहाय भाबि धारका सा. 52 के डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार तथा खं.सं. <math>\frac{120}{1}</math>, <math>\frac{121}{1}</math> कुल कितना 2 कुल एकका 0.70 हेक्टर की भूमि खतेदार रामचन्द्र पुत्र रामसहाय भाबि धारका सा. 52 के डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार तथा खं.सं. 117, <math>\frac{121}{1}</math> कुल कितना 2</p>

(Signature)

# फर्द अहकाम

2020/00201

सदरत कर्मचारी नस्ती जिला नयापुर

के लिये बनाम श्री  
 वर्ष \_\_\_\_\_ 1/12/2020

क्रमांक आज्ञा कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
-------------------------	----------------------	-------------

कुल रकम 0.70 हेक्टर की भूमि (वालदा  
 खरज पुर रामसहाय भाति धारमा हा. डेड  
 के हिस्से में रिकॉर्ड रकम ख. नं. 12/12  
 3/4  
 कुल किता 2 कुल रकम 0.19 हेक्टर  
 की भूमि शान्तिबाबा कडपुर नामावली  
 है, श्री। उक्त भूमि पर रासाल किता में उक्त  
 दरपड लिखा जावे। कुल रकम व जमीन का  
 अनुमोदन लेखे जावे। डिक्ली पत्ती जारी हो  
 निर्वाह व डिक्ली की पत्रावली लेखे व दर्शावदार  
 का मती को लिखा जावे। पत्रावली को सब  
 प्रकार डोमर का डोमरीब दाखिल कर  
 हो।

आज्ञा दिनांक 19.4.20 को यह  
 निर्वाह से इंजल्लास (मुनापा गया)  
 दिने

डिकी मुकदमा इब्तदाई  
(ओ.20 रुल्स व 7 जाब्ता दीवानी)

# अज अदालत सहायक कलक्टर बस्सी जिला जयपुर

पीठासीन अधिकारी शिवचरण शर्मा (आर.ए.एस.) सहायक कलक्टर बस्सी जिला जयपुर

## वादी

1. कैलाश पुत्र रामसहाय
  2. नंदलाल पुत्र रामसहाय
- जाति धानका निवासी ग्राम तूंगा तह.  
बस्सी जिला जयपुर।

## बनाम

## प्रतिवादी


1. बद्रीलाल पुत्र रामसहाय
  2. रामचन्द्र पुत्र रामसहाय
  3. सूरज पुत्र रामसहाय
- समस्त जाति धानका निवासी ग्राम तूंगा  
तह. बस्सी जिला जयपुर।
4. तहसीलदार बस्सी जिला जयपुर।
  5. उपपंजीयक बस्सी जिला जयपुर।

## दावा बाबत तकासमा एवं स्थायी निषेधाज्ञा

मु0न0 112/20

वादी का वाद अंतिम डिकी किया जाता है कि वादग्रस्त आराजी ख.नं. 117, 118, 119, 120, 121, 122 कुल किता 6 कुल रकबा 3.69 हैक्टेयर स्थित ग्राम तूंगा तह. तूंगा जिला जयपुर में से ख.नं. 120/2, 121/2 कुल किता 2 कुल रकबा 0.70 हैक्टेयर की भूमि खातेदार नन्दलाल पुत्र रामसहाय जाति धानका सा. देह राहिन बीओआई शाखा तूंगा के हिस्से में रहेगी तथा ख.नं. 119, 122/3 कुल किता 2 कुल रकबा 0.70 हैक्टेयर की भूमि खातेदार कैलाश पुत्र रामसहाय जाति धानका सा. देह के हिस्से में रहेगी। तथा ख.नं. 118, 122/2 कुल किता 2 कुल रकबा 0.70 हैक्टेयर की भूमि खातेदार बदरीलाल पुत्र रामसहाय जाति धानका सा. देह के हिस्से में रहेगी तथा ख.नं. 120/1, 121/1 कुल किता 2 कुल रकबा 0.70 हैक्टेयर की भूमि खातेदार रामचन्द्र पुत्र रामसहाय जाति धानका सा. देह के हिस्से में रहेगी। तथा ख.नं. 117, 122/1, कुल किता 2 कुल रकबा 0.70 हैक्टेयर की भूमि खातेदार सूरज पुत्र रामसहाय जाति धानका सा. देह के हिस्से में रहेगी तथा ख.नं. 121/3, 122/4 कुल किता 2 कुल रकबा 0.19 हैक्टेयर की भूमि शामिलती बदस्तुर जमाबंदी रहेगी। उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे। निजी..... मुबलिक..... वाबत..... खर्चा..... इस मुकदमें का मय सूद वगैरह..... फीसदी सालाना आज की तारीख वसूलियाव

को अदा करें।




दस्तावेज व मुहर अदालत के आज तारीख 19.04.2020 को जारी किया गया।  
दस्तख्त.....

शिवचरण शर्मा (आर.ए.एस.) सहायक कलक्टर बस्सी जिला जयपुर

विवरण	रुपये	पैसे	मुद्दायलह	रुपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
स्टाम्प बकालतनामा			स्टाम्प बकालतनामा		
स्टाम्प वहत सबूत			स्टाम्प वहत सबूत		
महन्ता वकील			महन्ता वकील		
खर्चा गवाहन			खर्चा गवाहन		
फीस कमिश्नर			फीस कमिश्नर		
बाबत इजराय			बाबत इजराय हुक्मनामा		
हुक्मनामा			मुतफरिक		
मुतफरिक			मीजान		
मीजान					

नोट:- इस खर्च के फार्म पर कुल खर्चा पर दो फरीकेन का चाहे डिक्ली के जरिये दिखाया हो या ही दर्ज करना चाहिए।

  
 सहायक कलक्टर  
 बस्सी जिला जयपुर